संख्या– 314 / सेक–2–पांच–17–4(234) / 16टी0सी0

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– अपर निदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
इलाहाबाद / सहारनपुर मण्डल।

1– अपर निदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
फैजाबाद / गोरखपुर मण्डल।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2017

विषयः–डा0 पी0एस0 मिश्रा, वरि0क0–6607 एवं डा0 ओ0पी0 सिंह, वरि0क0–6702 को मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–11 / सेक–2–पांच–17(234) / 2016, दिनांक 03.01.17 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रमांक–8 द्वारा डा0 ओ0पी0 सिंह, वरि0क0–6702, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अम्बेडकरनगर को मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया एवं क्रमांक–13 द्वारा डा0 पी0एस0 मिश्रा, वरि0क0–6607, वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ को मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर के पद पर तैनात किया गया है।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि उक्त चिकित्साधिकारियों द्वारा दिनांक 04.01.17 को मध्यान्ह 12.00 बजे आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के पश्चात योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी थी।

3– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के समाप्त होने के पश्चात् डा0 ओ0पी0 सिंह, वरि0क0–6702 को मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया एवं डा0 पी0एस0 मिश्रा, वरि0क0–6607 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जाय। कार्यभार ग्रहण करने तक डा0 पी0एस0 मिश्रा कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर एवं डा0 ओ0पी0 सिंह, कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से संबद्ध रहेंगे।

4– कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या :– 314 (1) / सेक–2–पांच–17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2– निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी, देवरिया / मुजफ्फरनगर।
4– प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ–साथ संबंधित को ई0मेल करना सुनिश्चित करें।
5– संबंधित चिकित्साधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनुसचिव।